



कार्यालय राँची नगर निगम, राँची

कचहरी रोड राँची- 834001
(जन-संपर्क कोषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

PR/2026/0416

दिनांक: 09-09-2026

नियम विरुद्ध होर्डिंग, यूनियोपल एवं मोनोपोल के विरुद्ध राँची नगर निगम की निर्णायक कार्रवाई

सार्वजनिक सूचना के बाद भी नहीं हटाए गए लगभग 350 विज्ञापन ढांचे — 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद नगर निगम शुरू करेगा विशेष हटाओ अभियान

राँची नगर निगम द्वारा शहर में नियम विरुद्ध स्थापित होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, यूनियोपल एवं मोनोपोल के विरुद्ध अब व्यापक एवं निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा पूर्व में सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों एवं विज्ञापनदाताओं को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेशों के अनुपालन में नियम विरुद्ध स्थापित विज्ञापन संरचनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था।

- नगर निगम द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद लगभग 350 चिन्हित होर्डिंग, यूनियोपल, मोनोपोल एवं अन्य नियम विरुद्ध विज्ञापन संरचनाओं को संबंधित एजेंसियों, विज्ञापनदाताओं द्वारा अब तक नहीं हटाया गया, इसे गंभीरता से लेते हुए राँची नगर निगम ने अब इन संरचनाओं के विरुद्ध विशेष हटाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

- 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद शुरू होगी कार्रवाई

नगर निगम की टीम द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर चिन्हित नियम विरुद्ध विज्ञापन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 350 ऐसे होर्डिंग/यूनियोपल/मोनोपोल एवं अन्य विज्ञापन संरचनाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जिन्हें नगर निगम द्वारा नियमों के विपरीत पाया गया है। संबंधित विज्ञापन एजेंसियों एवं विज्ञापनदाताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि अब उन्हें स्वयं संरचना हटाने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा नियमानुसार संरचनाओं को हटाने एवं आवश्यकतानुसार जल्दी की कार्रवाई की जाएगी।

- नोटिस और समय-सीमा के बाद अब कार्रवाई

नगर निगम द्वारा पहले ही संबंधित पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन्हें निर्धारित अवधि में नियम विरुद्ध संरचनाएं हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसी संरचनाएं अब भी यथावत हैं। नगर निगम द्वारा किसी भी एजेंसी अथवा विज्ञापनदाता के विरुद्ध जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जा रही है। संबंधित पक्षों को पूर्व में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नियम विरुद्ध संरचनाओं को नगर निगम द्वारा नियमानुसार हटाया जाएगा। शहर की सड़कों, फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों के सुरक्षित एवं अवरोधमुक्त आवागमन को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

~ Download **Smart Ranchi App** form Google Play Store or Apple Store~

~ Whatsapp on our Chatbot Number **814-123-1235** ~

~ Dial our Toll Free Number **1800- 570-1235**~

~ Follow us on: Facebook Page –**Ranchi Municipal Corporation**, Twitter - **@rmccommissioner**, Instagram – **ranchimunicipal**



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No 4665–4666/2025 में दिनांक 19.06.2026 को नागरिकों के 'Right to Walk' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है।

➤ 'सार्वजनिक स्थान विज्ञापन के लिए नहीं, नागरिकों के अधिकार के लिए हैं'

रांची नगर निगम का उद्देश्य शहर में विज्ञापन गतिविधियों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करना है। सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट पोल, विद्युत पोल तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए विज्ञापन ढांचे से नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होती है।

नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियमों का पालन करने वाले विज्ञापनदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा एजेंसी को अब कार्रवाई से छूट नहीं दी जाएगी।

➤ 'लगभग 350 संरचनाओं पर कार्रवाई होगी — अभियान रहेगा जारी'

रांची नगर निगम द्वारा चिन्हित लगभग 350 नियम विरुद्ध विज्ञापन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। अभियान के दौरान आवश्यकता के अनुसार नगर निगम की संबंधित टीमों द्वारा मौके पर ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नगर निगम ने संबंधित सभी विज्ञापन एजेंसियों एवं विज्ञापनदाताओं से अपील की है कि कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने स्तर से नियम विरुद्ध विज्ञापन संरचनाओं को हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई एवं उससे संबंधित व्यय/जबती की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/विज्ञापनदाता की होगी।

➤ रांची नगर निगम का स्पष्ट संदेश

- नियमों का पालन करें।
- सार्वजनिक मार्ग को अवरोधमुक्त रखें।
- नियम विरुद्ध विज्ञापन संरचनाएं स्वयं हटाएं।